तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज नारायणदास बनाम लो.सू.अ. (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 62/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.06.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नारायणदास पुत्र दयालदास पता 5–ग–3, तीसरा पुलिया, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.03.2019 में उसके द्वारा (1) मुझे वर्तमान में किसी कारणवश मेरे पिताजी स्व. दयालदास जी द्वारा उनके जीवनकाल में बनवाए गए/नवीनीकृत करवाये गए प्रथम राशनकार्ड से लेकर अंतिम राशन कार्ड तक से संबंधित समस्त जानरी राशन कार्ड बनाने/नवीनीकृत करवाने हेतु दिए गए आवेदन पत्रों की प्रतिलिपि व अन्य बिन्दुओं , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) से पत्रांक 188 दिनांक 21.05.19 सूचनार्थ प्राप्त हुआ। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील दायर करने के पश्चात् प्रार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। अपील के संलग्न सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट भी है अतः अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	